झारखण्ड विधान सभा–सचिवालय,कूटे,राँची।

अति–अल्पकालीन निविदा

निविदा सं0–01स्था0-26/2017-146 दिनांक–25-01-2022

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के भोजशाला (कैंटीन) में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थो के निमित्त विधान–सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित सामग्री की सूची एवं दर तालिका के अनुरूप भोजशाला संचालन हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठानों से सीलबंद/मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1-	विज्ञापनदाता का नाम एवं पता	:	सचिव, झा0वि0स0,राँची।
2-	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	04/02/2022 05:00 बजे अप0 तक
3-	तकनीकी बीड खोलने एवं प्रस्तुतीकरण की तिथि एवं समय	:	07/02/2022 02:00 बजे अप0
4-	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	10/02/2022 01:00 बजे अप0
5-	निविदा प्राप्ति एवं निविदा खोलने का स्थान	:	प्रशासनिक समिति कक्ष, सचिवीय कार्यालय के सामने झारखण्ड विधान सभा,कूटे,राँची।
6-	संपर्क पता	:	दूरभाष संख्या : **0651-2440200/2774062** **E-mail ID- jvstender142@gmail.com**

कार्य का विवरण :

नये झारखण्ड विधान–सभा अवस्थित मुख्य कैंटीन एवं उसके साथ पैन्ट्री में गुणवत्ता युक्त अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था।

नोट :–

निविदा की प्रति झारखण्ड विधान–सभा के प्रथम तल के पूर्वी भाग के कमरा संख्या–**125** (समिति कक्ष संख्या–**02**) में अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर अथवा झारखण्ड विधान–सभा के वेबसाईट **jharkhandvidhansabha.nic.in** पर दिनांक–**26-01-2022** को **01:00** बजे अप0 से डाउनलोड की जा सकती है। बंद लिफाफे में निविदा स्वीकृत की जाएगी एवं कोविड–**19** को ध्यान में रखते हुए निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया **Virtual Mode** पर सम्पन्न की जाएगी। इच्छुक निविदादाता अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर निविदा में भाग लेने से पूर्व कैंटीन एवं पैंट्री का भौतिक निरीक्षण कर सकते है।

ह0/–
नवीन कुमार
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

PRAVEEN
25-01-2022

झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय

अति–अल्पाकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा सं0–01स्था0-26/2017-146 दिनांक–25-01-2022

झारखण्ड विधान–सभा में भोजशाला (कैंटीन) के संचालन करने के निमित्त इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान से सीलबंद लिफाफे में दिनांक-**04/02/2022** को **05:00** बजे अप0 तक सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथा निर्धारित शर्त्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

सभी प्राप्त निविदाऐं दिनांक-**07/02/2022** को **02:00** बजे अप0 में सभा–सचिवालय स्थित प्रशासनिक समिति कक्ष में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी,जिसमें सभी निविदादाता **Virtual Mode** पर उपस्थित रहेंगे तथा फर्म/प्रतिष्ठान के द्वारा भोजशाला से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया जाना अनिवार्य होगा।

निविदा की पात्रताऐं :–

01. *कैटरिंग/कैंटीन चलाने संबंधी विगत तीन वर्षो का कार्य अनुभव रखने वाले फर्म/ प्रतिष्ठान ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।*

02. *फर्म/प्रतिष्ठान का विगत तीन वित्तीय वर्ष यथा–**2018-19, 2019-20** एवं **2020-21** में औसतन **25,00,000/-**(पच्चीस लाख)रूपये से ऊपर प्रति वित्तीय वर्ष **Turnover** का होना अनिवार्य होगा।*

03. *निविदादाता को **Turnover** से संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा निर्गत मूल प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

04. *इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान झारखण्ड विधान–सभा से निर्गत निविदा की प्रति झारखण्ड विधान–सभा के वेबसाईट **www.jharkhandvidhansabha.nic.in** से डाउनलोड कर सकते हैं तथा निविदा शुल्क की राशि अंके–**10,000/-**(दस हजार)रू0 तथा जमानत की राशि अंके–**50,000/-**(पचास हजार)रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट सचिव,झारखण्ड विधान–सभा,राँची के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

05. *निविदा शुल्क एवं जमानत राशि उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।*

06. *निविदादाता का फर्म/प्रतिष्ठान झारखण्ड राज्य में निबंधित होना अनिवार्य है।*

07. *फर्म/प्रतिष्ठान का चयन द्विपद्धतीय प्रक्रिया यथा–तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के आधार पर होगा।*

तकनीकी बीड की आवश्यक अर्हत्ताऐं

01. *फर्म/प्रतिष्ठान का विस्तृत विवरणी झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय द्वारा निर्गत विहित **Annexure-I** में पूर्ण रूप से भरा होना अनिवार्य होगा।*

02. *फर्म/प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र, अधतन आयकर, बिक्री कर चुकता प्रमाण– पत्र, **GST** निबंधन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

03. *फर्म/प्रतिष्ठान का झारखण्ड राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कम से कम चालीस **(40)** श्रमिकों के साथ कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

04. *फर्म/प्रतिष्ठान द्वारा कम से कम पचास रूपये के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक/प्रथम दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत **Affidavit** संलग्न करना आवश्यक है कि उक्त फर्म काली सूची में नहीं है।*

क्र0पृ0उ0

05. फर्म/प्रतिष्ठान को खाद्य निरीक्षक/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्व-अभिप्रमाणित खाद्य अनुज्ञिप्त प्रमाण-पत्र निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. फर्म/प्रतिष्ठान को श्रम,नियोजन विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्व-अभिप्रमाणित श्रम अनुज्ञिप्त प्रमाण-पत्र निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07. फर्म/प्रतिष्ठान का निबंधन कम्पनी एक्ट-**1956** के तहत्, श्रम निबंधन प्रमाण-पत्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-**1948, EPF** निबंधन प्रमाण-पत्र, **ESIC** निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

08. निविदा संबंधी सभी दस्तावेज फर्म/प्रतिष्ठान के सक्षम प्रधिकार द्वारा सभी पृष्ठों पर स्वहस्ताक्षरित एवं मुहरांकित करना अनिवार्य होगा।

09. झारखण्ड विधान-सभा की निविदा समिति के समक्ष फर्म/प्रतिष्ठान द्वारा भोजशाला संचालन से संबंधित प्रस्तुतीकरण देना अनिवार्य होगा तथा तकनीकी बीड की अर्हताऐं एवं प्रस्तुतीकरण में योग्य पाये जाने वाले फर्म/प्रतिष्ठान का वित्तीय बीड खोला जायेगा।

निविदा से संबंधित आवश्यक शर्त्तों का विवरण :-

01. निविदा के लिफाफे पर फर्म/प्रतिष्ठान का पूरा नाम, पता, दूरभाष/मोबाईल संख्या अंकित होना चाहिए।

02. निविदा में सामग्रियों की अंकित दर में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन, बिना भोजशाला समिति के निर्णय के नहीं किया जाएगा।

03. चयनित निविदादाताओं को कार्य आदेश के उपरांत जमानत राशि के रूप में अके- **50,000/-** (पचास हजार)रू0 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड विधान-सभा के रोकड़ शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

04. झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

05. झारखण्ड विधान-सभा भवन में संचालित होने वाले कैंटीन को पानी,बिजली,फर्नीचर एवं स्थान के भाड़ा से मुक्त रखा गया है। साथ ही मजदूर एवं गैर पर खर्च होने वाली राशि सभा-सचिवालय द्वारा वहन की जायेगी,जो सब्सिडी की राशि के अन्तर्गत निहित है।

06. विधान-सभा में गठित भोजशाला समिति द्वारा समय-समय पर आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों,मजदूरों की संख्या एवं गुणवत्ता आदि की जाँच की जायेगी तथा त्रुटि पाये जाने पर कैंटीन का एकरारनामा रद्द करने एवं जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

07. संलग्न मेनु में उल्लिखित सामग्रियों का दर सभा-सचिवालय द्वारा कैंटीन संचालन हेतु दिये गये सब्सिडी की राशि के आधार पर निर्धारित है।

08. भोजशाला संचालन के दौरान कैंटीन में कार्यरत कर्मी/सेवा दल विधिवत् ड्रेस कोड का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

09. कैंटीन,कार्यालय अवधि के दौरान संचालित की जायेगी एवं संचालक को मूल कैंटीन के अलावा प्रत्येक तल पर अवस्थित पैन्ट्री में भी अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

10. सदन आहूत होने पर अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी,ताकि सभी महानुभावों को उचित सेवाएं सुगमतापूर्वक पहुँचाई जा सकें।

11. संचालनकर्त्ता/फर्म कैंटीन का संचालन स्वंय करेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे फर्म से उप-संविदा **(Sub-Contract)** नहीं करेंगे। ऐसा करने पर संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।

12. मुख्य कैंटीन एवं पैन्ट्री के सुगम संचालन हेतु आवश्यकता के अनुरूप कुशल एवं अकुशल मजदूरों तथा **LPG** गैस पर होने वाली खर्च के लिए विधान-सभा के द्वारा सब्सिडी का भुगतान किया जायेगा।

13. सब्सिडी की राशि प्रतिमाह न्यूनतम **4,90,000/-**(चार लाख नब्बे हजार)रू0 निर्धारित है।

14. सफल घोषित निविदादाता का **EMD** की राशि जमानत के तौर पर सभा–सचिवालय में रखी जायेगी। **EMD** की राशि एकरारनामा की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत फार्म/प्रतिष्ठान को वापस कर दिया जायेगा।

15. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत असफल निविदादाता की **EMD** राशि विना वैंक व्याज के वापस कर दी जायेगी।

16. झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर न्यून्तम मजदूरी दर प्रतिवर्त्तन होने के फलस्वरूप श्रमिकों की मजदूरी उसके अनुरूप देय होगा।

17. निर्धारित समय सीमा के अंदर निविदा दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर स्वीकार्य नहीं होगा।

18. कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत ससमय कार्यो का संचालन नहीं करने की स्थिति में निर्धारित शर्त्तो का अवेलहना मानते हुए **EMD** की राशि जब्त करते हुए फार्म/प्रतिष्ठान को कालीसूची में डालने संबंधी कार्रवाई की जायेगी।

19. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद का निराकरण राँची स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

20. निविदा संबंधी अभिलेख दो लिफाफे में संलग्न करना होगा,जिसमें प्रथम लिफाफे में तकनीकी बीड संबंधी दस्तावेज एवं **EMD** तथा टेंडर फीस की राशि तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बीड का अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकी बीड एवं फाईनेंसियल बीड अंकित करना अनिवार्य होगा।

22. निविदा दस्तावेज संबंधी लिफाफा सचिव,झारखण्ड विधान–सभा,राँची के नाम से हार्थो–हाथ सचिवीय कार्यालय कोषांग या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार होगा। किसी भी विलम्ब के लिये विधान–सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा।

23. वित्तीय बीड में समान दर की स्थिति होने पर अधिक वार्षिक **Turnover** वाले फार्म/प्रतिष्ठान का चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

24. कोविड–**19** वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रियाऐं **Virtual Mode** पर सम्पन्न की जायेगी।

25. भोजशाला में प्रयोग होने वाली खाद्‌य सामग्री की सूची निविदा के साथ संलग्न है।

ह0/–

(नवीन कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

PRAVEEN
25-01-2022

Annexure-I

क्र0 सं0	विवरण	सम्पूर्ण विवरण
01.	फार्म/प्रतिष्ठान का नाम :-	
02.	पत्राचार का पता पिन कोड सहित :-	
	मोबाईल नं0 :-	
	ई–मेल :-	
03.	प्रबंधक का नाम :-	
04.	फार्म/प्रतिष्ठान के निबंधन सं0 :-	
05.	निबंधन वर्ष :-	
06.	GST निबंधन सं0 :-	
07.	प्रबंधक या फार्म/प्रतिष्ठान का पेन नं0 :-	
08.	सरकारी/अर्द्धसरकारी का नाम जहाँ का कार्य अनुभव प्राप्त हो :-	
09.	कार्य अनुभव का वर्ष एवं अवधि :-	
10.	वित्तीय वर्ष–2020-21 में श्रमिकों की कुल संख्या के साथ EPF, ESIC का एक माह प्रमाण–पत्र :-	
11.	वित्तीय वर्ष–2020-21 में कुल GST चुकता प्रमाण–पत्र :-	
12.	विगत तीन वित्तीय वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण–पत्र :-	
13.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्गत तीन वित्तीय वर्षो का वार्षिक Turnover प्रमाण–पत्र :-	
14.	निविदादाता का बैंक का नाम :-	
15.	खाता का स्वरूप :-	
16.	IFSC कोड :-	
17.	फार्म का Pay ID :-	

नोट :- सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।

प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं
मुहर सहित।

PRAVEEN
25-01-2022

भोजशाला में आपूर्ति किये जाने वाले खाद्य सामग्रियों की विवरणी :-

सभा सचिवालय मे आगामी एक वर्ष के लिए विभिन्न भोजन सामग्रियों का विवरण -

क्र0सं0	सामग्री का नाम (भोजन / नाश्ता)	मात्रा	दर प्रति पीस / प्लेट
1.	चाय	125 एम0एल0	04 रू0
2	कॉफी	125 एम0एल0	05 रू0
3	ग्रीन टी	125 एम0एल0	05 रू0
4.	समोसा	स्टैण्डर्ड साईज	04 रू0
5	कटलेट	स्टैण्डर्ड साईज	04 रू0
6	आलू चॉप	स्टैण्डर्ड साईज	04 रू0
7	कचौडी	स्टैण्डर्ड साईज	04 रू0
8	बालूसाही	स्टैण्डर्ड साईज	04 रू0
9	लौंगलता	स्टैण्डर्ड साईज	04 रू0
10	गुलाब जामुन	स्टैण्डर्ड साईज	05 रू0
11.	रसगुल्ला	स्टैण्डर्ड साईज	05 रू0
12.	सेव बुंदिया	100ग्राम सेव / 50 ग्राम बुंदिया	08 रू0
13.	प्याजी	स्टैण्डर्ड साईज	03 रू0
14.	पकौडी	100 ग्राम	05 रू0
15.	चुडा-चना	100 ग्राम	05 रू0
16.	इडली	स्टैण्डर्ड साईज (दो पीस)	08 रू0
17	ढोसा (मसाला)	125 ग्राम	20 रू0
18.	खाना वेज	चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भुजिया, सलाद, पापड, आचार और एक मीठा	32 रू0
19.	तावा रोटी	स्टैण्डर्ड	02 रू0
20.	मीट	02 पीस	45 रू0
21.	मुर्गा	02 पीस	35 रू0
22.	मिक्स वेज	100 ग्राम	28 रू0
23.	पनीर बटर मसाला	100 ग्राम	38 रू0
24.	मलाई कोफ्ता	100 ग्राम	08 रू0
25.	आमलेट	दो अण्डा	12 रू0
26.	अण्डा करी	एक अण्डा	08 रू0
27.	भुजिया (भिंडी, करैला, परवल)	100 ग्राम	13 रू0
28.	मशरूम मसाला	100 ग्राम	35 रू0
29.	मशरूम कडाही	100 ग्राम	45 रू0
30.	लेडी फिंगर मसाला	100 ग्राम	15 रू0
31.	ब्रेड पकौडा स्टफड	दो पीस	05 रू0
32.	पनीर पकौडा स्टफड	दो पीस	07 रू0
33.	दाल-तडका	100 ग्राम	20 रू0
34.	धुसका, बरा, कचरी	स्टैण्डर्ड	03 रू0